

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक: प.1(1)कार्मिक/क-4/2022/पैनल/रामं. जयपुर, दिनांक:-

हायर सुपर टाईम स्केल एवं
सुपर टाईम स्केल के समस्त
राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारीगण।

विषय:- सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पद पर नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर की अ.शा.टीप क्रमांक: प0 5 (7)
राज.-1/2014 दिनांक 20.07.2023

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में सदस्य के रिक्त पदों को राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अहर्ताएं और सेवा शर्तें) नियम, 1971 के नियम-4 (घ) के प्रावधानान्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हायर सुपर टाईम स्केल व सुपर टाईम स्केल के अधिकारियों से शीघ्र भरा जाना है। जिसके लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के योग्य/पात्र अधिकारियों का पैनल राजस्व (ग्रुप-1) विभाग को भिजवाया जाना अपेक्षित है।

अतः इच्छुक एवं पात्र हायर सुपर टाईम स्केल एवं सुपर टाईम स्केल के समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगणों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। कृपया नियमानुसार अपने आवेदन पत्र मय संलग्न प्रपत्र के दिनांक 15.08.2023 तक इस विभाग को (E-mail - itcell.dop@rajasthan.gov.in) भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रपत्र।

(अक्षय गोदारा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग को संदर्भित अशा.टीप के क्रम में
सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्मिक (क-4) विभाग, कमरा नं. 1237,
मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर। फोन नं. - 0141-5153222/21990
Website : www.dop.rajasthan.gov.in E-mail : itcell.dop@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 4373753

Signature valid

Digitally signed by Aksay Godara
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.07.25 12:27:40 IST
Reason: Approved



—: प्रपत्र :-

सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पद पर आवेदन हेतु पात्र राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम/हायर सुपरटाईम स्केल के अधिकारी जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा एवं 54 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	अधिकारी का विवरण	विवरण
1	अधिकारी का नाम एवं बैच	
2	जन्म तिथि	
3	राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि	
4	सेवानिवृत्ति तिथि	

दिनांक:-

हस्ताक्षर अधिकारी
मय पदनाम

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा अभिलेख के अनुसार श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच लम्बित एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है (यदि विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हो तो छायाप्रति संलग्न करें) एवं इस अवधि में इनके विरुद्ध कोई दण्डादेश जारी नहीं किया गया है (यदि दण्डादेश हो तो छायाप्रति संलग्न करें)।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
मय पदनाम एवं मोहर